7 SEP 2009

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
INDUSTRIES (GROUP-2) DEPARTMENT

No. F. 16(2) Ind./2/2009

Jaipur, Dated: 7 SEP 2009

NOTIFICATION

THE RAJASTHAN SALT LABOUR WELFARE ASSISTANCE SCHEME - 2009

PREAMBLE

Rajasthan is third largest salt producing state in the country accounting for about 17 lakhs metric tones per year. Salt Industry is high labour intensive and provides direct employment to more than 25 thousand persons. In addition thousand of labourers are also engaged in other incidental and ancillary activities viz Processing , transporting and trending. Labourers are the back-bone of salt industry.

Salt labourers are socially and educationally deprived of the society. They have to work in amidst harsh and barren climate of blistering heat during the day cold winds during night. The scheme aims to improve the working conditions and to provide social security net to the labourers engaged in production and processing of salt.

1. **TITLE**

   The Scheme shall be known as "The Rajasthan Salt Labourer's Welfare Assistance Scheme 2009."

2. **OPERATIVE PERIOD**

   The scheme shall be operative from 1.4.2009

3. **APPLICABILITY OF THE SCHEME**

   The scheme shall be applicable to all bonafide labourers working in salt industry either as salt labourers or self employed person who has been working for preceding one year or more. A person working on a salt farm, processing unit for a major part of season i.e. not less than six months during the last year shall be regarded as salt labour.

4. **DEFINITIONS**

   (i) **SALT LABOURER**
   Means Bonafide gainfully employed labour in salt farm or in Iodization plant or in Refinery or in salt processing unit for a period of more than a year.

   (ii) **SALT WORKS/FARM/IODISETION PLANT/REFINERY**
   Any unit manufacturing salt / iodised salt / refining salt / salt processing.

   (iii) **D.I.C.**
   District Industries Centre established by Government of Rajasthan in District Head Quarters.

   (iv) **GENERAL MANAGER**
   Senior most Officer deputed in District Industries Centre i.e. Joint Direct./ Deputy Director./Assistant Director,/ District Industries Office as the case may be.

   (v) **FAMILY**
   Means adult married member with spouse & Dependent Children.

5. **ELIGIBILITY**

All salt labourer's between age 18 to 60 years working in salt manufacturing, and salt refining processing units and gain fully engaged for major part of season in more than one year.

6. **EXECUTING AGENCY**

GM DIC shall be executing agency. However he may take the help of N.G.O./Salt Producer/ association. All activities shall be supervised by the Commissioner Industries of State of Rajasthan.

7. **AUTHORITY TO GRANT BENEFIT UNDER THE SCHEME**

GM DIC shall grant the benefit after due verification and satisfaction.

8. (a) **BENEFITS/INCENTIVES**

The salt labour shall be issued identity cards, given gum boots & goggle, cycle salt labourers shall also be covered under Salt Labour Beema Yojana. This scheme shall be implemented with LIC. A premium of Rs. 200/- per labour has been fixed by LIC out of which a sum of Rs. 100/- will be borne by Social Security fund of the corporation and remaining amount of Rs. 100/- shall be given by nodal agency annually .A group of minimum 25 labourers would be decided under this Scheme. The Premium of Rs. 200/- would be may able on an annual bases .

(b) **DISTRIBUTION OF CYCLE**

Salt labourers shall be provided with a bicycle for easy transport Each family of salt worker's is to be given one cycle. A cycle costs around Rs. 2500/- out of which 300/- contribution is to be made by the beneficiary and remaining amount will be borne by State Government. It is proposed to cover 1000 beneficiaries every year.

9. **QUANTUM OF ASSISTANCE**

The maximum quantum assistance for the activities shall be as under:

i	Registration & Issuance of Identity card to card to salt labourers	Rs. 100/- per labour
ii	Salt labourer Insurance Scheme	Rs. 100 per labour from LIC Social Security fund & other Insurance Agencies
iii	For providing Gum Boots & Goggles to Salt labourers engaged in Salt Production in farm Ponds	Rs. 400/- per labour
iv	For providing Bicycle to Salt labour (residence distance more then 2 Km.)	Rs. 2200/- per labour

Note: **The beneficiary contribution for cycle shall be Rs. 300/-.**

10. **AUTHORITY FOR IMPLEMENTATION/INTERPRETATION**

The District Industries Centre shall act as nodal implementing agency. Any matter pertaining to the interpretation of any clause of the scheme shall be referred to Industries Department whose decision shall be final in such matter.

11. REVIEW APPEAL

The Commissioner Industries shall hear and decide the appeal against the order passed by General Manager, District Industries Centre. Aggrieved applicant has to file appeal for revision with in the period of 60 days from the date of communication of decision.

12. REVISION BY THE STATE GOVERNMENT

The State Government in Industries department may SOU-MOTO or other wise revise the order passed under this Scheme by Commissioner Industries, General Manager, DIC where ever it is found to be erroneous.

13. REVIEW OR MODIFICETION OF THE SCHEME

Review or modification in the scheme shall be done by the State Government in industries department .

14. PROCEDURE FOR CLAIMING THE BENEFIT

Salt labour shall submit an application before General Manage, District Industries Centre for grant of benefit provided in clause 8 of the scheme. General Manager, District Industries having satisfied with the candidature of the applicant, shall sanction the benefit.

This bears approval of Finance Department vide I.D. NO. 100902678 dated 3-6-2009

Order By Governor,

(Shakuntala Singh)
Deputy Secretary

Copy forwarded to :-

1- The Director, Printing & Stationary, Rajasthan, Jaipur with request that the Superintendent, Govt. Central Press, Jaipur may kindly be directed to publish the aforesaid notification in extra ordinary Gezette.
2- Pr. Secretary to the Chief Minister, Rajasthan, Jaipur
3- P.S. to Hon'ble Industries. Minister, Rajasthan, Jaipur
4- P.S. to Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur
5- Secretary, Finance Department, Rajasthan, Jaipur
6- Secretary, Planning Department, Rajasthan, Jaipur
7- Commissioner, Industries, Department, Rajasthan, Jaipur
8- Salt Commissioner, Govt. of India.
9- Director, Public Relation, Department, Jaipur
10- All Divisional Commissioner, Rajasthan.
11- All Collectors, Rajasthan.
12- P.S. to Addl. Chief. Secretary, S.S.I. & K.V.I.B., Department, Jaipur
13- P.S. to Secretary, S.S.I. & K.V.I.B., Department, Jaipur
14- Financial Adviser to the Commissioner, Industries, Department, Jaipur
15- All General Managers, District Industries Centre.
16- Guard File

Deputy Secretary

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
INDUSTRIES (GROUP-2) DEPARTMENT

No. F. 16 (2) Ind./2/2009 **Jaipur, Dated** 23 FEB 2010

NOTIFICATION

The Rajasthan Salt Labour Welfare Assistances Scheme - 2009 issued vide this Deptt. Notification No. 16(2) Ind./2/2009 dated 3.9.2009 Item No. 9(iv) for providing bicycle to Salt Labour (residence distance more than 2 K.m.) **"Rs. 2200/- per labour"** is being amended as **"Rs. 2500/- per labour"**.

Order By Governor,

(Shakuntala Singh)
Deputy Secretary

Copy forwarded to :-

1- The Director, Printing & Stationary, Rajasthan, Jaipur with request that the Superintendent, Govt. Central Press, Jaipur may kindly be directed to publish the aforesaid notification in extra ordinary Gezette.
2- Pr. Secretary to the Chief Minister, Rajasthan, Jaipur
3- P.S. to Hon'ble Industries. Minister, Rajasthan, Jaipur
4- P.S. to Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur
5- Secretary, Finance Department, Rajasthan, Jaipur
6- Secretary, Planning Department, Rajasthan, Jaipur
7- Commissioner, Industries, Department, Rajasthan, Jaipur
8- Salt Commissioner, Govt. of India.
9- Director, Public Relation, Department, Jaipur
10- All Divisional Commissioner, Rajasthan.
11- All Collectors, Rajasthan.
12- P.S. to Addl. Chief. Secretary, S.S.I. & K.V.I.B., Department, Jaipur
13- P.S. to Secretary, S.S.I. & K.V.I.B., Department, Jaipur
14- Financial Adviser to the Commissioner, Industries, Department, Jaipur
15- All General Managers, District Industries Centre.
16- Guard File

Deputy Secretary

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
INDUSTRIES (GROUP-2)DEPARTMENT

No. F.16(2)Ind./2/2009 Jaipur, Dated 04 JUN 2012

NOTIFICATION

The Rajasthan Salt Labour Welfare Assistances Scheme-2009 issued vide this Deptt. Notification No. F.16(2)Ind/2/2009 dated 3-9-2009 & item no. 9(4) was amended vide Notification No. F.16(2)Ind/2/2009 dated 23-2-2010 published in Extra ordinary Rajasthan Gaztte dated 26 Feb.2010 now the whole item no. 9 & footnote is being amended/and substituted as under:-

"9. **QUANTUM OF ASSISTANCE**

The maximum quantum assistance for the activities shall be as under:

1	**Registration and Issuance of Identity card to salt labourers.**	**Rs.150/- Per labour.**
2	**Salt labourers Insurance Scheme.**	**Rs.100/- Per labour from LIC, Social Security Fund and other Insurance Agencies.**
3	**For providing Gum Boots and Goggles to Salt labourer engaged in Salt Production in farm ponds.**	**Rs.700/- Per labour.**
4	**For providing Bicyle to Salt Labour (Residance distance more than 2 K.M).**	**Rs.3000/- Per Labour.**

Note : The Beneficiary contribution for Bicycle shall be Rs. 300/- and upto 10 % of total expenditure incurred on above activities can be used as miscellaneous expenses under this scheme."

Order By Governor,

(Dr. Mohan Lal Yadav)
Deputy Secretary

Copy forwarded to-:

1. The Director, Printing and Stationary, Rajasthan, Jaipur with request that the Superintendent, Govt. Central Press, Jaipur may kindly be directed to publish the aforesaid notification in extra ordinary Gezette.
2. Pr. Secretary to the Chief Minister, Rajasthan, Jaipur
3. P.S. to the Hon'ble Industries Minister, Rajasthan, Jaipur.
4. P.S. to the Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur.
5. Pr. Secretary, Finance department, Rajasthan, Jaipur.
6. Pr. Secretary, Planning Department, Rajasthan, Jaipur.
7. P.S to Secretary, S.S.I and KVI, Department, Jaipur.
8. Commissioner, Industries Department, Rajasthan, Jaipur.
9. Salt Commissioner, Govt. of India
10. Commissioner, Public Relation Department, Jaipur.
11. All Divisional Commissioner, Rajasthan.
12. All Collectors, Rajasthan.
13. Financial Advisor to the Commissioner, Industries Department, Jaipur.
14. All General Managers, District Industries Centre.
15. Guard File.

Deputy Secretary

(प्रारूप)

नमक श्रमिक कल्याण योजना हेतु गाईड लाईन्स

i) नमक श्रमिक पंजीकरण :

नमक श्रमिकों की कल्याण योजना का लाभ नमक श्रमिकों को ही मिले, इसके लिए नमक श्रमिकों की पहचान कर प्रत्येक श्रमिक को एक फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किया जायेगा। इस प्रकिया पर रू.100/– प्रति नमक मजदूर की दर से व्यय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके मुख्य चरण इस प्रकार होगें :–

1. प्रत्येक नमक श्रमिक से पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र (प्रारूप–क) में आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा।
2. आवेदन पत्र श्रमिक के नियोक्ता अथवा प्रपत्र पूर्ण करवाने वाली संस्था द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
3. पहचान पत्र जारी करवाने हेतु भी किसी संस्था का चयन करना होगा। इसमें पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने होगें। इन आवेदन पत्रों का रजिस्टर में इन्द्राज करना होगा, तत्पश्चात् फोटो परिचयन पत्र जारी करने होगें।
4. प्रत्येक आवेदन पत्र का रजिस्टर में इन्द्राज कर संबंधित राजकीय अधिकारी (लवण निरीक्षक/उद्योग प्रसार अधिकारी/महाप्रबंधक) द्वारा रजिस्टर में प्रमाणीकरण कर किया जायेगा।
5. प्रत्येक श्रमिक को फोटोयुक्त लेमीनेटेड पहचान पत्र, जिसमें श्रमिक का नाम, पता, क्रमांक, नियोक्ता का नाम, वोटर पहचान पत्र का क्रमांक एवं भाग संख्या आदि स्पष्टतः अंकित किये जाने हैं।
6. *श्रमिकों की शत–प्रतिशत जानकारी के लिये लवण उत्पादकों, ऑथोराईजेशन प्लांट/रिफाईनरीज की सूचियां तैयार कर नियोक्ताओं से अधिकाधिक प्रविष्टियां प्राप्त करने हेतु* प्रेषित किया जायेगा। लोकल समाचार पत्रों में न्यूज आईटम देकर पब्लिसिटी की जायेगी।
7. नमक मजदूर पंजीकरण हेतु अधिकाधिक प्रविष्टियां प्राप्त करने हेतु किसी भी संस्था को एन.जी.ओ. या नमक उत्पादक संघों को प्रेरक नियुक्त कर राशि दी जा सकती है, परन्तु समस्त कार्यवाही पर व्यय की सीमा 100/–रू. प्रति श्रमिक से अधिक नहीं होगी।
8. समस्त गतिविधियों के संचालन हेतु महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में एव कमेटी निम्नानुसार गठित की जावेगी :–

महाप्रबंधक	—	अध्यक्ष
लवण निरीक्षक/उद्योग प्रसार अधिकारी	—	सदस्य
नमक उत्पादक संघ का प्रतिनिधि	—	सदस्य
लेखा संवर्ग का प्रतिनिधि, जो भी जि.उ.के. में उपलब्ध हो।	—	सदस्य

प्रपत्र-क

लवण श्रमिक पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

क.स. ....

1.	लवण श्रमिक का नाम / लिंग	:	सुश्री / श्रीमती / श्री .... महिला ( ) पुरूष ( )	लवण श्रमिक का वर्तमान में खिंचा हुआ फोटो यहां पर लगाये
2.	पिता / पति का नाम	:	श्री	
3.	आयु	:	वर्ष / माह / दिन	
4.	मतदाता पहचान पत्र	:	....	
5.	वैवाहिक स्टेटस	:	विवाहित ( ) अविवाहित ( )	
6.	श्रेणी / जाति (एस.सी. / एस.टी. / ओ.बी.सी. / बी.पी.एल. / सामान्य)	:	....	
7.	शैक्षणिक योग्यता	:	....	
8.	अन्य कोई योग्यता	:	....	
9.	वर्तमान पता (जहां कार्य करते है, के कार्यस्थल का पता)	:	मकान नम्बर गली / मौहल्ला / कॉलोनी गांव का नाम पोस्ट ऑफिस जिला / राज्य / पिनकोड नं.	
10.	स्थाई पता	:	....	
11.	परिवार का विवरण	:	(see table below)	
12.	परिवार का कोइ सदस्य यदि किसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित है, तो उसका विवरण	:	....	
13.	नियोक्ता का नाम व विवरण	:	....	

क स.	परिवार के सदस्यों के नाम	उम्र	आवेदक से संबंध
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है ।

14. .... आवेदक के हस्ताक्षर

15. .... नियोक्ता द्वारा प्रमाणीकरण (हस्ताक्षर एवं मोहर)

अथवा

आवेदन पत्र भरवाने वाली संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम व पता मोहर सहित (हस्ताक्षर एवं मोहर)

(ii) लवण श्रमिक बीमा योजना

योजना के उद्देश्य :-

इस योजना का मूल उद्देश्य लवण श्रमिकों की स्वाभाविक मृत्यु के साथ-साथ दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में बढ़ा हुआ बीमा कवर एवं उच्चतम बीमा राशि प्रदान करना है।

पात्रता -

1. लवण श्रमिक महिला एवं पुरुष जिनके पास लवण श्रमिक योजनान्तर्गत जारी पहचान पत्र हो।
2. 18 से 60 वर्ष के आयुवर्ग के बीच के सभी चाहे महिला हो या पुरूष इस योजना में शामिल होगे।

जनश्री बीमा योजना

1. सदस्य की मृत्यु की स्थिति में 30000/- नामित को देय।
2. दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 75000/- रुपये देय।
3. दुर्घटना के कारण स्थायी अपंगता पर 37500/- रुपये देय।
4. परिवार के दो बच्चे को शिक्षा सहयोग हेतु 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले प्रति छात्र 300/- रु. प्रति तिमाही प्रति छात्र को चार वर्ष देय होगी।

पैटर्न ऑफ असिसटेन्स

प्रति व्यक्ति 200/- प्रति वर्ष प्रीमियम देय होगा।

वार्षिक प्रीमियम में से भारतीय जीवन बीमा निगम के सुरक्षा फण्ड से 100/- रूपये एवं 100/- रूपये राज्य सरकार द्वारा वहन किये जायेगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 25000 लवण श्रमिकों को इस योजनान्तर्गत बीमित किये जाने की सम्भावना है।

आप्रेशनल मोडिलिटीज

1. यह योजना साल दर साल के आधार पर कियान्वित की जायेगी। प्रीमियम राशि का भुगतान वार्षिक हिसाब से भारतीय जीवन बीमा निगम को देय होगा।
2. एक बार दिया गया प्रीमियम रिफण्ड नहीं किया जायेगा।
3. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र राज्य सरकार की ओर से देय राशि रिलीज करेगा।
4. आवेदक लवण श्रमिक द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम का एप्लीकेशन कम नोमिनेशन फार्म जिला उद्योग केन्द में जमा कराया जायेगा।
5. निर्धारित प्रपत्र नोडल एजेन्सी (जिला उद्योग केन्द्रों) को भारतीयं जीवन बीमा निगम उपलब्ध करायेगा।
6. नोडल एजेन्सी (जिला उद्योग केन्द्र) आयु वर्ग एवं अन्य सभी साक्ष्य पर सतुष्ट होने पर ही बीमा प्रपत्र को भुगतान राशि के साथ अग्रेषित किया जायेगा।
7. प्रीमियम भुगतान राशि प्राप्त होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम ग्रुप इन्श्योरेन्स पालिसी नोडल एजेन्सी (जिला उद्योग केन्द्र) को मय सूची उपलब्ध करायेगा।

8. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, प्रत्येक लाभान्विति को उक्त सूचना उपलबध करायेगा।

9. लवण श्रमिक के देहान्त होने/स्थाई अपंगता होने आदि के प्रकरण में नोमिनी से सभी साक्ष्य यथा मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि प्राप्त कर नोडल एजेन्सी (जिला उद्योग केन्द्र) के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रस्तुत किये जायेगे।

10. भारतीय जीवन बीमा निगम दावे को राशि का भुगतान 15 दिवस में करेगा।

11. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रत्येक लवण श्रमिक के बीमा प्रीमियम की राशि का भुगतान लवण श्रमिक के आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात् करना होगा।

अतिरिक्त लाभ :— जनश्री बीमा योजना के नामर्स के अनुसार प्राप्त होगें।

दावे के भुगतान की प्रकिया :—

1. लाभान्विति द्वारा मूल मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि नोडल एजेन्सी को प्रस्तुत करना होगा। नोडल एजेन्सी द्वारा उक्त दावा प्रपत्र इन्श्योरेन्स कवर के साथ प्रस्तुत करना होगा।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दावे का भुगतान नोमिनी के नाम से उसके बैंक खाते में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से किया जावेगा।

3. योजना की समीक्षा हेतु आयुक्त, उद्योग स्तर पर एक बैठक प्रति माह 18 तारीख को आयोजित की जावेगी। बैठक में शाखा प्रबन्धक या भारतीय जीवन बीमा निगम के मनोनीत प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र, पॉलिसी जारी होने की प्रगति प्राप्त दावे एवं भुगतान की जिलेवार स्थिति से अवगत कराया जावेगा। नियत तिथि पर राजकीय अवकाश होने की स्थिति पर बैठक आगामी कार्यदिवस पर आयोजित होगी।

iii) गम बूट्स एवं गोगल्स का वितरण :

1. इस योजना में जारी लवण श्रमिक पहचान पत्र धारक योजना में पात्र होगा।
2. लवण श्रमिक को प्रपत्र–ख में आवेदन पत्र करना होगा।
3. गम बूट्स एवं गोगल्स के स्पेसिफिकेशन्स आयुक्त, उद्योग द्वारा लवण आयुक्त, भारत सरकार/डेजर्ट मेडिकल रिसर्च सेन्टर, जोधपुर के प्रतिनिधि की राय से तह किये जावेगें।
4. महाप्रबंधक जिला स्तर पर गम बूट्स एवं गोगल्स बजट प्रावधान एवं आवश्यकता के हिसाब से क्रय कर वितरण करायेगें।
5. महाप्रबंधक, जिला–उद्योग केन्द्र गम बूट्स एवं गोगल्स क्रय करने हेतु सक्षम अधिकारी होगें एवं राशि आहरण योजना अनुसार आवंटित राशि में से कर सकेगें।

नमक श्रमिक कल्याण योजना हेतु गाईड लाईन्स

(i) नमक श्रमिक पंजीकरण

नमक श्रमिकों की कल्याण योजना का लाभ नमक श्रमिकों को ही मिले, इसके लिए नमक श्रमिकों की पहचान कर प्रत्येक श्रमिक को एक फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किया जायेगा। इस प्रक्रिया पर रू.100/– प्रति नमक मजदूर की दर से व्यय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके मुख्य चरण इस प्रकार होगें :–

1. प्रत्येक नमक श्रमिक से पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र **(प्रारूप–क)** में आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा।
2. आवेदन पत्र श्रमिक के नियोक्ता अथवा प्रपत्र पूर्ण करवाने वाली संस्था द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
3. पहचान पत्र जारी करवाने हेतु भी किसी संस्था का चयन करना होगा। इसमें पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने होगें। इन आवेदन पत्रों का रजिस्टर में इन्द्राज करना होगा, तत्पश्चात् फोटो परिचयन पत्र जारी करने होगें।
4. प्रत्येक आवेदन पत्र का रजिस्टर में इन्द्राज कर संबंधित राजकीय अधिकारी (लवण निरीक्षक/उद्योग प्रसार अधिकारी/महाप्रबंधक) द्वारा रजिस्टर में प्रमाणीकरण कर किया जायेगा।
5. प्रत्येक श्रमिक को फोटोयुक्त लेमीनेटेड पहचान पत्र, जिसमें श्रमिक का नाम, पता, क्रमांक, नियोक्ता का नाम, वोटर पहचान पत्र का क्रमांक एवं भाग संख्या आदि स्पष्टतः अंकित किये जाने हैं।
6. श्रमिकों की शत–प्रतिशत जानकारी के लिये लवण उत्पादकों, ऑथोराईजेशन प्लांट/ रिफाईनरीज की सूचियां तैयार कर नियोक्ताओं से अधिकाधिक प्रविष्टियां प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जायेगा। लोकल समाचार पत्रों में न्यूज आईटम देकर पब्लिसिटी की जायेगी।
7. नमक मजदूर पंजीकरण हेतु अधिकाधिक प्रविष्टियां प्राप्त करने हेतु किसी भी संस्था को एन.जी.ओ. या नमक उत्पादक संघों को प्रेरक नियुक्त कर राशि दी जा सकती है, परन्तु समस्त कार्यवाही पर व्यय की सीमा 100/–रू. प्रति श्रमिक से अधिक नहीं होगी।
8. समस्त गतिविधियों के संचालन हेतु महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में एक कमेटी निम्नानुसार गठित की जावेगी :–

महाप्रबंधक	–	अध्यक्ष
लवण निरीक्षक/उद्योग प्रसार अधिकारी	–	सदस्य
नमक उत्पादक संघ का प्रतिनिधि	–	सदस्य
लेखा संवर्ग का प्रतिनिधि, जो भी जि.उ.के. में उपलब्ध हो।	–	सदस्य

प्रपत्र–क

लवण श्रमिक पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

क.स. ....

1.	लवण श्रमिक का नाम /लिंग	:	सुश्री/श्रीमती/श्री				लवण श्रमिक का वर्तमान में खिंचा हुआ फोटो यहां पर लगाये
			महिला ( )		पुरूष ( )		
2.	पिता/पति का नाम	:	श्री				
3.	आयु	:	वर्ष	माह	दिन		
4.	मतदाता पहचान पत्र	:	....				
5.	वैवाहिक स्टेटस	:	विवाहित ( )		अविवाहित ( )		
6.	श्रेणी/जाति (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./ बी.पी.एल./सामान्य)	:	....				
7.	शैक्षणिक योग्यता	:	....				
8.	अन्य कोई योग्यता	:	....				
9.	वर्तमान पता (जहां कार्य करते है, के कार्यस्थल का पता)	:	मकान नम्बर				
			गली/मौहल्ला/कॉलोनी				
			गांव का नाम				
			पोस्ट ऑफिस				
			जिला/राज्य/ पिनकोड नं.				
10.	स्थाई पता	:	....।				
11.	परिवार का विवरण	:	क स.	परिवार के सदस्यों के नाम	उम्र	आवेदक से संबंध	
			1.				
			2.				
			3.				
			4.				
			5.				
12.	बीमा क्लेम प्राप्त करने हेतु नामित व्यक्ति का विवरण	नाम		आयु	रिश्ता/संबंध		
13.	परिवार का कोइ सदस्य यदि किसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित है, तो उसका विवरण	:	....				
14.	नियोक्ता का नाम व विवरण	:	....				

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है ।

14. ———————————————————— आवेदक के हस्ताक्षर

15. .... नियोक्ता द्वारा प्रमाणीकरण (हस्ताक्षर एवं मोहर)

अथवा

आवेदन पत्र भरवाने वाली संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम व पता मोहर सहित (हस्ताक्षर एवं मोहर)

(ii) लवण श्रमिक बीमा योजना

योजना के उद्‌देश्य :–

इस योजना का मूल उद्‌देश्य लवण श्रमिकों की स्वाभाविक मृत्यु के साथ–साथ दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में बढ़ा हुआ बीमा कवर एवं उच्चतम बीमा राशि प्रदान करना है।

पात्रता –

1. लवण श्रमिक महिला एवं पुरूष जिनके पास लवण श्रमिक योजनान्तर्गत जारी पहचान पत्र हो।
2. 18 से 60 वर्ष के आयुवर्ग के बीच के सभी चाहे महिला हो या पुरूष इस योजना में शामिल होगे।

जनश्री बीमा योजना

1. सदस्य की मृत्यु की स्थिति में 30000/– नामित को देय।
2. दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 75000/– रुपये देय।
3. दुर्घटना के कारण स्थायी अपंगता पर 75000/– रुपये एवं एक अंग की हानि पर 37,500/– रूपये देय।
4. परिवार के दो बच्चे को शिक्षा सहयोग हेतु 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले प्रति छात्र 300/– रुपये प्रति तिमाही प्रति छात्र को चार वर्ष देय होगी।

पैटर्न ऑफ असिसटेन्स

प्रति व्यक्ति 200/– प्रति वर्ष प्रीमियम देय होगा।

वार्षिक प्रीमियम में से भारतीय जीवन बीमा निगम के सुरक्षा फण्ड से 100/– रूपये एवं 100/– रूपये राज्य सरकार द्वारा वहन किये जायेगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 25000 लवण श्रमिकों को इस योजनान्तर्गत बीमित किये जाने की सम्भावना है।

आप्रेशनल मोडिलिटीज

1. यह योजना साल दर साल के आधार पर क्रियान्वित की जायेगी। प्रीमियम राशि का भुगतान वार्षिक हिसाब से भारतीय जीवन बीमा निगम को देय होगा।
2. एक बार दिया गया प्रीमियम रिफण्ड नही किया जायेगा।
3. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र राज्य सरकार की ओर से देय राशि रिलीज करेगा।
4. आवेदक लवण श्रमिक द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम का एप्लीकेशन कम नोमिनेशन फार्म जिला उद्योग केन्द में जमा कराया जायेगा।
5. निर्धारित प्रपत्र नोडल एजेन्सी (जिला उद्योग केन्द्रों) को भारतीय जीवन बीमा निगम उपलब्ध करायेगा।
6. नोडल एजेन्सी (जिला उद्योग केन्द्र) आयु वर्ग एवं अन्य सभी साक्ष्य पर संतुष्ट होने पर ही बीमा प्रपत्र को भुगतान राशि के साथ अग्रेषित किया जायेगा।
7. प्रीमियम भुगतान राशि प्राप्त होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम ग्रुप इन्श्योरेन्स पालिसी नोडल एजेन्सी (जिला उद्योग केन्द्र) को मय सूची उपलब्ध करायेगा। ,

8. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, प्रत्येक लाभान्विति को उक्त सूचना उपलबध करायेगा।

9. लवण श्रमिक के देहान्त होने/स्थाई अपंगता होने आदि के प्रकरण में नोमिनी से सभी साक्ष्य यथा मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि प्राप्त कर नोडल एजेन्सी (जिला उद्योग केन्द्र) के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रस्तुत किये जायेगे।

10. भारतीय जीवन बीमा निगम दावे को राशि का भुगतान 15 दिवस में करेगा।

11. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रत्येक लवण श्रमिक के बीमा प्रीमियम की राशि का भुगतान लवण श्रमिक के आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात् करना होगा।

<u>अतिरिक्त लाभ</u> :– जनश्री बीमा योजना के नामर्स के अनुसार प्राप्त होगे।

<u>दावे के भुगतान की प्रकिया</u> :–

1. लाभान्विति द्वारा मूल मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि नोडल एजेन्सी को प्रस्तुत करना होगा। नोडल एजेन्सी द्वारा उक्त दावा प्रपत्र इन्श्योरेन्स कवर के साथ प्रस्तुत करना होगा।
2. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दावे का भुगतान नोमिनी के नाम से उसके बैंक खाते में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से किया जावेगा।
3. योजना की समीक्षा हेतु आयुक्त, उद्योग स्तर पर एक बैठक प्रति माह 18 तारीख को आयोजित की जावेगी। बैठक में शाखा प्रबन्धक या भारतीय जीवन बीमा निगम के मनोनीत प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र, पॉलिसी जारी होने की प्रगति प्राप्त दावे एवं भुगतान की जिलेवार स्थिति से अवगत कराया जावेगा। नियत तिथि पर राजकीय अवकाश होने की स्थिति पर बैठक आगामी कार्यदिवस पर आयोजित होगी।

(iii) गम बूट्स एवं गोगल्स का वितरण

1. इस योजना में जारी लवण श्रमिक पहचान पत्र धारक योजना में पात्र होगा।
2. लवण श्रमिक को **प्रपत्र–ख** में आवेदन पत्र करना होगा।
3. गम बूट्स एवं गोगल्स के स्पेसिफिकेशन्स आयुक्त, उद्योग द्वारा लवण आयुक्त, भारत सरकार/डेजर्ट मेडिकल रिसर्च सेन्टर, जोधपुर के प्रतिनिधि की राय से तय किये जावेगें।
4. महाप्रबंधक जिला स्तर पर गम बूट्स एवं गोगल्स बजट प्रावधान एवं आवश्यकता के हिसाब से क्रय कर वितरण करायेगें।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र गम बूट्स एवं गोगल्स क्रय करने हेतु सक्षम अधिकारी होगें एवं राशि आहरण योजना अनुसार आवंटित राशि में से कर सकेगें।

प्रपत्र–ख

मानिनीय मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा घोषित नमक श्रमिक कल्याण योजना के तहत गम बूट्स एवं गोगल्स प्राप्त करने के लिए आवेदन–पत्र

क.स. ....

<table>
<tr><td>1.</td><td>लवण श्रमिक का नाम</td><td>:</td><td colspan="3">श्री ....
....</td><td rowspan="6">लवण श्रमिक का वर्तमान में खिंचा हुआ फोटो यहां पर लगाये</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पिता का नाम</td><td>:</td><td colspan="3">श्री ....</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td rowspan="2">आयु</td><td rowspan="2">:</td><td>वर्ष</td><td>माह</td><td>दिन</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>लवण श्रमिक का पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या</td><td>:</td><td colspan="3">..</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>श्रेणी / जाति (एस.सी. / एस.टी. / ओ.बी.सी. / बी.पी.एल. / सामान्य)</td><td>:</td><td colspan="4">..
.... (जाति प्रमाण पत्र संलग्न करे)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5">6.</td><td rowspan="5">श्रमिक के निवास स्थान का पता</td><td rowspan="5">:</td><td>मकान नम्बर</td><td></td></tr>
<tr><td>गली / मौहल्ला / कॉलोनी</td><td></td></tr>
<tr><td>गांव का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td>पोस्ट ऑफिस</td><td></td></tr>
<tr><td>जिला / राज्य / पिनकोड नं.</td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>श्रमिक द्वारा मजदूरी (जहां कार्य करते है) कितने माह से कार्यरत है</td><td>:</td><td colspan="2">लगभग ....माह से</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>क्या अभ्यार्थी के परिवार के किसी सदस्य ने इस योजना के अधीन आवेदन किया है, तो उसका नाम एवं पता</td><td>:</td><td colspan="2">..
....
..............................</td></tr>
</table>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के अनुसार सही है ।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

प्रार्थी के नियोक्ता का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री————————————————————पुत्र श्री———————————————————— जिनका निवास स्थान .... है, आज तक हमारे———————————————————— नमक संस्थान / प्लांट / रिफाइनरी में नियुक्त है ओर यह अम्यर्थी लगभग —————————माह से कार्यरत है तथा इसको गम बूट्स एवं गोगल्स उपलब्ध करवाने की अभिशंषा की जाती है।

फैक्ट्री मालिक का प्रमाणीकरण

iv) साईकिलों का वितरण :

1. इस योजना में जारी लवण श्रमिक पहचान पत्र धारक योजना में पात्र होगा।
2. साईकिल उपलब्ध करवाये जाने हेतु पृथक से आवेदन पत्र **प्रपत्र–ग** में आवेदक द्वारा भरकर जमा करवाया जावेगा।
3. नमक श्रमिकों को साईकिल उपलब्ध करवाने हेतु समाचार पत्रों में मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी /अधिकृत डीलर से निविदाएं आमंत्रित कर निविदादाता से साईकिल क्रय करनी होगी।
4. क्रय की जाने वाली साईकिल का निर्धारण महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा नमक उत्पादक संघ की सहमति से किया जावेगा।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र साईकिल क्रय करने हेतु सक्षम अधिकारी होगें एवं राशि आहरण योजना अनुसार आवंटित राशि में से कर सकेगें।
6. योजना में आवेदक को 300/– रूपये सहभागिता स्वरूप आवेदन के साथ जमा कराने होगें।

प्रपत्र–ग

मानननीय मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा घोषित नमक श्रमिक कल्याण योजना के तहत साईकिल प्राप्त करने के लिए आवेदन–पत्र

क.स. ....

1.	लवण श्रमिक का नाम	:	श्री			लवण श्रमिक का वर्तमान में खिंचा हुआ फोटो यहां पर लगाये
2.	पिता का नाम	:	श्री			
3.	आयु	:	वर्ष	माह	दिन	
4.	लवण श्रमिक का पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या	:	....			
5.	श्रेणी / जाति (एस.सी. / एस.टी. / ओ.बी.सी. / बी.पी.एल. / सामान्य)	:	.... (जाति प्रमाण पत्र संलग्न करे)			
6.	श्रमिक के निवास स्थान का पता	:	.... ।			
7.	श्रमिक द्वारा मजदूरी के लिए (जहां कार्य करते है) निवास से कार्यस्थल की दूरी	:	...................................किलोमीटर में ।			
8.	नमक श्रमिक की हिस्सा राशि रूपये 300/– का ड्राफ्ट नम्बर	:	....			
9.	क्या अभ्यार्थी के परिवार के किसी सदस्य ने इस योजना के अधीन आवेदन किया है, तो उसका नाम एवं पता	:	....			

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के अनुसार सही है ।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

प्रार्थी के नियोक्ता का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री––––––––––––––––––––––पुत्र श्री–––––––––––––––––––––––– जिनका निवास स्थान .... है, आज तक हमारे–––––––––––––––––––––––– नमक संस्थान / प्लांट / रिफाइनरी में नियुक्त है ओर यह अम्यर्थी लगभग –––––––––कि.मी. की दूरी से हमारे संस्थान में काम करने आता है। इसे साईकिल उपलब्ध करवाने की अभिशंषा की जाती है।

फैक्ट्री मालिक का प्रमाणीकरण

Government of Rajasthan
Industries (GR.2) Department

No. F.16(2)Ind./2/2009 Date: 07-06-2018

Order

In exercise of the powers conferred by clause 13 of the Rajasthan Salt Labourers' Welfare Scheme-2009 (hereinafter referred as "The Scheme") the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, modify the scheme by making the following amendments with immediate effect, namely:-

1. Substitution of clause 5. - The existing clause 5 of the scheme shall be substituted by the following:-

   "**5. Eligibility**

   All salt labourers' between age 18 to 59 years working in salt manufacturing, processing and refining units and gainfully engaged for major part of season in one year."

2. Substitution of clause 8. - The existing clause 8 of the scheme shall be substituted by the following:-

   "8. The salt labour in the age group 51 to 59 shall be covered under Aam Aadmi Bima Yojna (AABY) while the salt labour in the age group 18 to 50 shall be covered under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY)/Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY). Contribution of salt labour towards premium under AABY i.e. Rs.100 and the contribution of salt labour towards premium under PMJJBY/PMSBY i.e. Rs.171 shall be paid by the State Government while remaining part of premium shall be paid by LIC through Social Security Fund."

Note: 5% of the total expenditure incurred under the scheme can be used as miscellaneous expenditure.

3. Deletion of clause 9. - The existing clause 9 of the scheme is deleted.

By Order of the Governor,

Special Secretary to Government

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

1. Superintendent, Government Central Press, Jaipur along with a soft copy in CD for publication of this order in part 4(c) of today's extra ordinary Gazette. It is requested that 100 copies of this order may be sent to this department and 20 copies along with bill may be sent to Commissioner, Industries Department, Rajasthan, Jaipur. Please ensure that soft copy in CD is same as hard copy provided to you for publication.
2. Secretary to Hon'ble Chief Minister (Finance Minister).
3. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
4. Commissioner, Industries Department.
5. PS to Principal Secretary, Law.
6. PS to Additional Chief Secretary, Finance.
7. PS to Additional Chief Secretary, MSME.
8. PS to Principal Secretary, Energy.
9. PS to Principal Secretary, Plan.
10. PS to Secretary Finance (Revenue).
11. Salt Commissioner, Government of India.
12. Director, Public Relation, Jaipur.
13. All Collectors.
14. Joint Director, Industries Department (Computer Cell) for uploading the notification on website of Industries Department.
15. All General Manager, DICs.
16. Guard File.

2/8/18

Special Secretary to the Government